

उ०प्र० शासन/वन विभाग द्वारा मानक शर्तें तथा उनके मान्य होने का प्रमाण पत्र

पत्रांक — शासनादेश सं०-7314-1-3-1980/82 दिनांक-01.12.1982

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/अनारक्षित वन भूमि बना रहेगा।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है, कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठिकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सिमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इसके सम्बन्ध में बनाये गये गुनारों आदि की भी देख भाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि में वन विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आधारित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वित्तीय व जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा किसी विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को

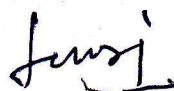
वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न होने पर भी हस्तान्तरित भूमि संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा। इस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगा।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर अलाइमेन्ट तय होते समय स्थानीय स्थल पर वन विभाग का परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पूर्व क्षेत्र) पौड़ा को सम्बोधित पत्र सं०-668 सी दिनांक-10-2-82 में लिखित आदेशों का पालन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अपना मार्ग बनवाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेर बदल पक्का कराना चाहिए विभाग से प्राप्त होगा और नहीं सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर अंकलित किया जायेगा। जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ०प्र० वन निगम द्वारा अथवा अन्य उपयुक्त प्रक्रिया से जो वन विभाग से सम्बन्धित किया जायेगा। यदि किसी पदाधिकारी का हस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों का प्रतिकर याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक के स्थान पर 10 पेड़ों का रोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000मी० से व 43.5 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है इसी प्रकार वन पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन से जान में तथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि के निर्माण में भूसंरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करेगा।
17. ऊपर लिखित मानव शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जायेगा जब उक्त शर्तों का पूरी तरह से पालन कर लिया जाय अथवा समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तें एस्सार आयल लिमिटेड वाराणसी को मान्य होगा।

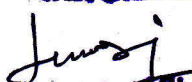


प्रबन्धक

एस्सार आयल लिमिटेड

वाराणसी.

For **ESSAR OIL LIMITED**

  
Authorised Signatory



प्रभागीय निदेशक

सांख्यिकीय विभाग

देवरिया